

सहायक कलक्टर (SDO)

दालत

नाम

मुकाम

अचला राव कोष

बनाम

गुराराव कोष

किस्म मुकदमा

राजस्व आवेदन

नं.

37

सन्

2020

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
19/02/2020	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ..... कुमारी ए. चौधरी</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ..... 111, 128</p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ..... 4/3/2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">विष्णु चालु</p>	<p style="text-align: right;">25.2.2020</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर (SDO) बायतु</p>
04/03/2020	<p>प्रार्थी वकील उपरिलिखत/ विप्रार्थी/गवा</p> <p>के नोटिस तामिल मध्य तामिल मंडल/</p> <p>इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 16/03/2020</p> <p>को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">विष्णु चालु</p>	<p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर (SDO) बायतु</p>
16/03/20	<p>प्रार्थी वकील उपरिलिखत/ विप्रार्थी/गवा</p> <p>के नोटिस तामिल मध्य तामिल मंडल/</p> <p>इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 30/06/2020</p> <p>को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">विष्णु चालु</p>	<p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर (SDO) बायतु</p>
30/06/2020	<p>प्रार्थी वकील उपरिलिखत/ विप्रार्थी/गवा</p> <p>के नोटिस तामिल मध्य तामिल मंडल/</p> <p>इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 30/06/2020</p> <p>को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">विष्णु चालु</p>	<p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर (SDO) बायतु</p>



रखें या उनकी और से कोई अधिकता उपस्थित  
नहीं हुआ बिना उनकी विरुद्ध एडवोकेट कार्य-  
वाही प्रमल से पास जाती है अतः वास्तविक वकालत  
पत्रावली दिनांक 08/07/2020 को पैदा है।

वि. व. वा. प.  
सहायक कलक्टर  
(SDO) बायतु

08/07/2020

प्रार्थी वकील उपस्थित / विजार्थीगण अनुपस्थित।  
प्रार्थी के अधिकार की एडवोकेट वकालत सुनी गई प्रार्थी  
के अधिकार द्वारा कलाप की प्रार्थी व विजार्थी गणों  
के खारेजी खेत सेबा-सेबा आपे हुए है प्रार्थी व  
विजार्थीगणों के खेतों के मध्य जो पुरानी माडे वरुणे  
आपे हुए थे जो वर्तमान में अगधियों की वकालत से  
छिन्न गये हैं जिससे प्रार्थी को अपने खेतों की  
सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है जिस  
कारण प्रार्थी व विजार्थीगणों के मध्य सेबा को लेकर  
तनामा बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने  
खेत के सेबा का सही ज्ञान करने हेतु नेखम बंदी  
करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नेखम बंदी  
आपेदन स्वीकार किया जाकर नेखम बंदी आदेश  
दिया जावे।

अतः प्रार्थी अधिकार के निवेदन पर प्रार्थी का  
नेखम बंदी आपेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार  
बायतु को कमिशनर व सम्मन्वित मं. अभिलेख  
विरीयुक्त को सहायक कमिशनर नियुक्त किया जाकर  
आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक  
कमिशनर से प्रार्थी के खारेजी खेतों की पक्की नेखम  
बंदी माँके पर कमिशनर शुल्क जमा कराकर करे/पालना  
रिपोर्ट प्राप्त होने पर शाहिल पत्रावली है, पत्रावली  
फैसल शुमाद होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल  
दफतर है।

वि. व. वा. प.  
8.7.2020  
सहायक कलक्टर  
(SDO) बायतु

आवेदन / 2020 / 493  
य आवेदन संख्या - 37 / 2020  
प्रार्थी

श्री अहलाराम पुत्र हरजीराम  
वगैरा 03, जाति-जा  
निवासी-1

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु जिला बाड़मेर

क/आवेदन/2020/ 495  
जस्व आवेदन संख्या -37/2020

दिनांक:- 8/7/2020

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

श्री अचलाराम पुत्र हरजीराम  
वगैरा 03, जाति-जाट,  
निवासी-देरमोणी पोटलियों की  
की ढाणी, बायतु चिमनजी,  
तहसील-बायतु, जिला-बाड़मेरश्री भुराराम पुत्र विशनाराम वगैरा 75  
निवासी-देरमोणी पोटलियों की की  
ढाणी, बायतु चिमनजी,  
तहसील-बायतु, जिला-बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

## आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा देरमोणी पोटलियों की ढाणी खेत खसरा नम्बर 581, 646, 647, 681, 775, रकबा क्रमशः 2.2733, 0.0081, 2.8315, 4.2392, 4.4576 हैक्टेयर व मौजा रूपोणी बांगडवों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 233, 249 रकबा क्रमशः 4.7650, 2.5241 हैक्टेयर पटवार हल्का बायतु चिमनजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

कमांक/आवेदन/2020/

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचना एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, बायतु चिमनजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री अचलाराम पुत्र हरजीराम वगैरा 03।
4. विप्रार्थीगण श्री भुराराम पुत्र विशनाराम वगैरा 75।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

विवेक व्यास

(विवेक व्यास)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:-

-sd-  
उपखण्ड अधिकारी बायतु